गीतानगर की चोरी का मास्टरमाइंड अंतरराज्यीय कुख्यात चोर धराया

लाखों के जेवर और वाहन जब्त
आरोपी का नाम अब्दुल रशीद उर्फ तलवारसिंह

नव भारत न्यूज

इंदौर. पलासिया पुलिस ने अंतरराज्यीय कुख्यात चोर अब्दुल रशीद उर्फ तलवारसिंह को गिरफ्तार कर गीतानगर क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी के लाखों रुपए के सोने-चांदी के आभूषण और एक दोपहिया वाहन बरामद किया है. आरोपी पर मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र में 100 प्रकरण दर्ज हैं. फिलहाल, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी पलासिया सुरेंद्र सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी 54 वर्षीय अब्दुल रशीद उर्फ तलवारसिंह पिता अब्दुल हमीद मूलत: इंदौर के नॉर्थ तोड़ा इलाके का रहने वाला है, लेकिन चोरी और अपराध की दुनिया में उसने महाराष्ट्र सहित मध्यप्रदेश के कई जिलों में अपना आतंक कायम किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने तिलकनगर क्षेत्र से एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा एक्सप्लेंडर चुराई और फिर गीतानगर क्षेत्र में उक्त चोरी को अंजाम दिया. पुलिस ने उसके पास से चोरी किए गए जेवर और मोटरसाइकिल बरामद किए गए, जिनकी कीमत लगभग 7.5 लाख रुपए बताई गई है. अब्दुल रशीद ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह इंदौर में वोटर कार्ड के लिए आया था, लेकिन उसी दौरान चोरी को अंजाम दिया. आरोपी नशे का आदी है और सूने घरों में चोरी करने में माहिर है. उसके खिलाफ पलासिया थाना क्षेत्र में पहले भी 4 अपराध दर्ज हैं, जबकि अन्य थानों में दर्जनों मामले पहले से ही लंबित थे. आरोपी अब्दुल रशीद उर्फ तलवारसिंह के खिलाफ जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

इसलिए आरोपी का नाम पड़ा तलवार सिंह ...

आरोपी पर मप्र और महाराष्ट्र में 100 से अधिक अपराध दर्ज हैं, जिनमें चोरी, हत्या और हत्या का प्रयास शामिल हैं. वर्तमान में उसके लगभग 60 अपराध रिकॉर्ड की पुष्टि हो चुकी है और शेष 40 अपराधों की जानकारी भी ली जा रही है. पुलिस ने बताया कि रशीद को तलवारसिंह नाम इसलिए मिला, क्योंकि वह वर्धा जिले में एक व्यक्ति की तलवार से हत्या करके थाने में गर्दन सहित पेश हुआ था, जिससे महाराष्ट्र में उसका भय फैल गया. इस कारण उसे यह कुख्यात उपनाम मिल गया.

महू से रेस्क्यू किए तेंदुए के शावक की मौत, मादा तेंदुआ बीमार

वन्यप्राणी संरक्षण की तैयारियों पर उठ रहे सवाल

नव भारत न्यूज

इंदौर. महू के जंगल से रेस्क्यू किए गए तेंदुए के दो शावकों में से एक की मौत हो गई. मादा तेंदुआ भी बीमार है और उसके इलाज की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हो सकी है.

पिछले माह नवम्बर में महू के हरसोला गांव के पास जंगलों से वन विभाग ने मादा तेंदुआ और उसके दो शावकों को रेस्क्यू किया था. सभी को कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रखा था. शावकों में से एक की मृत्यु कई दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई. वन विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि मादा तेंदुआ भी बीमार है. चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने वन विभाग को इसकी गंभीरता से अवगत कराते हुए मादा तेंदुए को अस्पताल में इलाज कराने की सिफारिश की है. डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने मामले की पुष्टि करते हुए

कहा कि शावक की मृत्यु हो चुकी है और मादा तेंदुआ के इलाज की व्यवस्था भोपाल में की जा रही है, लेकिन अभी वहां इसे रखने की सुविधा पूरी नहीं हो पाई है. इस घटना से वन विभाग और वन्यप्राणी संरक्षण की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शावक की मौत के बाद भी मादा तेंदुए के इलाज और सुरक्षित परिवहन को लेकर अभी इंतजाम अधूरे हैं.

रालामंडल की पहाड़ियों पर तेंदुए की तलाश में ड्रोन ने रातभर भरी उड़ान

देवगुराड़िया और रालामंडल इलाके में पिछले तीन महीनों से तेंदुए की हलचल लगातार देखी जा रही है. वन विभाग ने इस पर नियंत्रण के लिए हाईटेक ड्रोन से रात में निगरानी अभियान शुरू किया है. बीती रात रालामंडल की पहाड़ियों से पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन ने लगभग 2 घंटे की उड़ान भरी. इसके अलावा इंदौर के आसपास की रेंजों में भी ड्रोन से निगरानी की गई. इस दौरान जिला वनमंडलाधिकारी, रालामंडल एसडीओ और टेक्निशियन टीम ड्रोन संचालन के लिए मौके पर मौजूद रहे. ड्रोन में नाइट विजन और थर्मल कैमरे लगे हुए हैं, जो रात में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तक हलचल और इमेज रिकॉर्ड कर सकते हैं. इस तकनीक का उद्देश्य तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रखना और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकना है. हालांकि, रातभर की उड़ान में हिरण और अन्य वन्यजीव ही नजर आए, लेकिन तेंदुए का कोई सुराग नहीं मिला. डीएफओ प्रदीप मिश्रा का कहना है कि यह पायलट प्रोजेक्ट लगातार जारी रहेगा और अगले हफ्तों में इसे और क्षेत्रों में विस्तारित किया जाएगा.

ड्रिंक एंड ड्राइव : सख्ती और चालान के बावजूद नहीं सुधर रहे

- **एक माह में 1000 से अधिक चालकों का 10-10 हजार का चालान बनाया**
- **रोज पकड़े जा रहे 20-25 वाहन चालक**

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में झोन-2 के सात थानों में पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ लगातार चेकिंग अभियान चला रही है. एक माह में 1000 से अधिक वाहन चालकों का 10-10 हजार रुपए का कोर्ट चालान बनाया, फिर भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं. रोजाना 20 से 25 ड्रायवर शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार लसूड़िया, विजयनगर और कनाड़िया क्षेत्रों में सबसे अधिक वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जा रहे हैं. इन इलाकों में रेस्टोरेंट और पब अधिक होने के कारण युवा अक्सर शराब पीकर सड़क पर निकलते हैं.

बीती रात ही झोन-2 में पुलिस ने 20 वाहन चालकों को शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा. अब पुलिस लोडिंग वाहनों और स्कूल बस चालकों की भी चेकिंग कर रही है, जिनमें कई चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते पाए गए.

वहीं, सुरक्षा बढ़ाने के लिए झोन-2 में ड्रोन पेट्रोलिंग भी की जा रही है. इसमें पुलिस रोजाना 100 से अधिक संदिग्धों की जांच कर रही है और शेडो एरिया में संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है. अब तक 500 से अधिक संदिग्धों पर कार्रवाई की जा चुकी है. मामले में अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, लेकिन मोटे चालान और सख्ती के बावजूद लोग सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं.

तीसरे दिन भी इंडिगो की 10 उड़ानें निरस्त

इंदौर हवाई यात्रियों के लिए मुश्किलें जारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. इंदौर से आने-जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की 10 उड़ानें तीसरे दिन भी निरस्त कर दी गईं. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानों के लगातार रद्द होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सरकार द्वारा नियमों में छूट दिए जाने के बावजूद इंडिगो की उड़ानों का रद्द होना जारी है. विमानतल सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को सुबह से रात तक 10 उड़ानें निरस्त हो गईं, जो पिछले दो दिनों में भी निरस्त हो चुकी थीं. हालांकि, कंपनी ने यात्रियों की सुविधा के लिए टिकट राशि रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कई को दूसरी उड़ानों में एडजस्ट भी किया जा रहा है.

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है, तब तक कुछ उड़ानों के निरस्त होने का सिलसिला जारी रह सकता है. वहीं, यात्रियों के अनुसार, निरस्त उड़ानों के कारण उन्हें होटल और परिवहन की अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. विमानतल प्रशासन ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है और सभी को रिफंड या एडजस्टमेंट विकल्प उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है.

एक नजर में

शातिर बदमाश 'पॉपकॉर्न' छह माह के लिए तड़ीपार

इंदौर. आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय कुख्यात और शातिर बदमाश रोहन उर्फ पॉपकॉर्न पर पुलिस आयुक्त ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे शहर और आसपास के जिलों की सीमाओं से छह माह के लिए तड़ीपार कर दिया है. परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के टापू नगर में रहने वाला 20 वर्षीय रोहन उर्फ पॉपकॉर्न पिता किशन कदम लगातार अपराधों में लिप्त रहने के कारण पुलिस की निगरानी सूची में था. उसकी हरकतों से क्षेत्र में लगातार तनाव और असुरक्षा का माहौल बन रहा था. इसी आधार पर पुलिस आयुक्त ने उसे छह माह के लिए इंदौर नगरीय सीमा, देहात क्षेत्र और आसपास के सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने का आदेश जारी किया है. आदेश जारी होने के बाद परदेशीपुरा पुलिस की टीम ने क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से यह निर्देश सार्वजनिक रूप से सुनाया. आरोपी और उसके परिजनों को आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई. साथ ही आसपास के रहवासियों को भी सूचित किया कि आरोपी पर जिला बदर की कार्रवाई लागू हो चुकी है और यदि वह शहर की सीमा में दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

सूने घर से चोर नकदी जेवर लेकर हुए फरार

इंदौर. जूनी इंदौर इलाके में बदमाशों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर नकदी और गहने चोरी कर लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. देवेन्द्र नगर निवासी नितिन गवते ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि राजमहल कॉलोनी स्थित उसकी चाची के घर में चोरी हुई है. घटना उस वक्त हुई, जब चाची किसी काम से शहर से बाहर थीं. खाली घर का फायदा उठाकर चोरों ने ताला तोड़ा और भीतर घुसकर सोने चांदी के जेवरों के साथ नकदी पर हाथ साफ कर दिया. सूचना मिलते ही नितिन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे. चोरी गए सामान का सटीक आकलन चाची के लौटने के बाद ही संभव होगा. पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है. टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके.

घरेलू विवाद में पत्नी का सिर फोड़ा

इंदौर. शहर में घरेलू विवाद दो अलग-अलग परिवारों में इतना बढ़ गया कि एक पति ने पत्नी का सिर फोड़ दिया, जबकि दूसरे ने गुस्से में पत्नी का कान नोचकर उसे घायल कर दिया. दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पहला मामला हीरानगर थाना क्षेत्र के कबीटखेड़ी का है. यहां 40 वर्षीय ममता मोर्य ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका पति राहुल अक्सर किसी महिला से फोन पर बात करता है. जब उन्होंने इसका विरोध किया तो राहुल आगबबूला हो गया. कहासुनी बढ़ी तो उसने गाली-गलौज करते हुए कड़े से ममता के सिर पर वार कर दिया. चोट लगने से वह लहूलुहान हो गई. दूसरी घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर की है. यहां रहने वाली 35 वर्षीय माया मन्सोरे ने पुलिस को शिकायत में बताया कि पति मनोज रोज शराब पीकर घर आता है. रात भी वह नशे में पहुंचा और माया ने उसे शराब छोड़ने की सलाह दी तो वह भड़क उठा. गाली गलौज के बाद उसने माया के कान में पहने टॉप्स को जोर से खींच लिया. इससे उसका कान फट गया और खून बहने लगा. दोनों प्रकरणों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

पत्नी को धक्का दिया, लोडिंग से टकराकर घायल

राऊ क्षेत्र में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में तकरार के दौरान पति ने पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर जा गिरी और लोडिंग वाहन की चपेट में आकर घायल हो गई. अपने पति से अलग रह रही गौरी नगर निवासी आरती साहू ने राऊ थाने में पति दीपक साहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह अपने बेटे अथर्व से मिलने उसके राऊ स्थित पलाश परिसर वाले घर गई थी. इसी दौरान पति ने कहा कि थाने चलकर बात करते हैं. दोनों एबी रोड से होकर कन्या शाला के पास पहुंचे ही थे कि दीपक ने रास्ते में गाली गलौज शुरू कर दी. आरती ने एतराज जताया तो दीपक ने हाथापाई शुरू कर दी और जोर से धक्का दे दिया. धक्का लगते ही आरती सड़क पर गिर पड़ी. उसी वक्त वहां से गुजर रहे एक लोडिंग वाहन से टकरा गई. हादसे में उनके सिर और दाहिने पैर में चोट आई. घटना के बाद आरती थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई.

भाजपा की सदस्यता नहीं ली तो झूठे केस में फंसा दिया : कादरी

कोर्ट ने अनवर को जमानत देने से किया मना

नव भारत न्यूज

इंदौर. लव जिहाद फंडिंग केस में गिरफ्तार पूर्व पार्षद ने अदालत में दावा किया कि राजनीतिक दबाव में उसे फंसाया गया है और सदस्यता ठुकराने की कीमत हिरासत में रहकर चुकानी पड़ रही है.बाणगंगा थाने में दर्ज लव जिहाद फंडिंग केस में जेल में बंद पूर्व पार्षद अनवर कादरी को कोर्ट से राहत नहीं मिली. जमानत सुनवाई के दौरान कादरी ने अदालत के सामने कहा कि भाजपा से जुड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और सदस्यता लेने से मना करने पर उसे झूठे प्रकरण में उलझा दिया. उसकी ओर से दायर आवेदन में उल्लेख किया गया कि वह पिछले करीब 15ड्ड16 वर्षों से पार्षद रहा है और हिरासत में रहने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है. शासन की ओर से कादरी की मांग का विरोध यह कहते हुए कि केस गंभीर है और जांच में उसकी भूमिका सामने आई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश यतेश शिशौदिया की अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया. ज्ञात हो कि कादरी को 5 नवंबर को पार्षद पद से हटाया था. वहीं संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े ने उसे आगामी पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी घोषित किया था. उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं. गंभीर आरोपों के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अनुशंसा पर नगर निगम के विशेष सम्मेलन में कादरी को पद से हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया.

दो लाख के नकली नोट के साथ चार युवक गिरफ्तार

नव भारत न्यूज

इंदौर. गुटकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र में देर रात दबिश देकर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट चलाने की साजिश रच रहे चार युवकों को धर दबोचा. आरोपियों से दो लाख रुपए के नकली नोट और दो दोपहिया वाहन जब्त कर मामला जांच में लिया है.

एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर क्राइम ब्रांच अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों पर लगातार निगरानी रख रही है. जिसके तहत देर रात विश्वसनीय सूचना मिली कि सदर बाजार रोड स्थित गुटकेश्वर महादेव मंदिर के पास चार युवक संदिग्ध हालत में आ-जा रहे हैं.

एक युवक के पास लाल रंग का बैग भी था. सूचना पुख्ता लगने पर टीम ने घेराबंदी कर चारों को हिरासत में लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से 500 -500 रुपए के करीब 400 नकली नोट बरामद हुए. अलग-अलग सीरीज में तैयार किए गए ये नोट शहर में खपाने की योजना थी. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हीरो होंडा सीडी 100 और सुजुकी एक्सेस दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं. गिरफ्तार आरोपियों में ऋषिकेश तोण्डे, वंश केथवास, रितेश नागर और अंकुश यादव शामिल हैं, जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हैं और प्राइवेट जॉब करते हैं. पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि इंस्टाग्राम रील देखने के बाद शॉर्टकट में ज्यादा कमाई के लालच में नकली नोट खरीदकर शहर में खपाने की तैयारी कर रहे थे. क्राइम ब्रांच द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पिता और भाइयों ने पूरा किया राजा रघुवंशी का सपना

केट रोड पर राजा भोज नाम से खोला रेस्टोरेंट

नव भारत न्यूज

इंदौर. इस साल 2 मई को शिलॉन्ग की सोहरा हिल्स की पहाड़ियों में हुए इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद परिवार के टूटे मनोबल और बदले हालात के बीच राजा रघुवंशी के भाइयों ने उसके सपने को जिंदा रखते हुए केट रोड पर 'राजा भोज' नाम से ढाबा शुरू किया है. राजा की हत्या में उसकी पत्नी सोनम, उसका दोस्त राज, आनंद, विशाल सहित अन्य आरोपी बनाए गए हैं.

राजा रघुवंशी के छोटे भाई सचिन और विपिन ने बताया कि परिवार लंबे समय से आर्थिक और मानसिक तनाव से गुजर रहे थे. ट्रांसपोर्ट कारोबार भी लगातार प्रभावित हो रहा था. ऐसे में पिता की इच्छा थी कि राजा की अधूरी चाहत को पूरा किया जाए. इसी उद्देश्य से केट रोड पर काफी पहले लीज पर ली गई जमीन पर परिवार ने 'राजा भोज' ढाबे की शुरूआत कर दी है. पिता रोजाना शाम को यहां बैठते हैं, जबकि विपिन पूरे सेटअप का संचालन देख रहे हैं. परिवार का कहना है कि यह कदम राजा की यादों को संजोने और आगे बढ़ने की कोशिश है. विपिन ने रेस्टोरेंट को लेकर ज्यादा चर्चा करने से इनकार किया. उनका कहना है कि अब भी कई तरह के विवाद और झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, इससे परिवार पहले ही काफी तनाव में है. बता दें कि यह वही परिवार है, जिसने कुछ महीने पहले बड़े सदमे का सामना किया था. 2 मई को शिलांग के सोहरा हिल्स में राजा रघुवंशी का शव मिला था. इस मामले में उसकी पत्नी सोनम, उसके दोस्त राज, आनंद, विशाल समेत अन्य लोगों पर हत्या का आरोप है. मामले में शिलांग कोर्ट में केस चल रहा है.

युवती के सुसाइड मामले में लिव इन पार्टनर पर एफआईआर

मोबाइल चैट में महिला मित्र के साथ दी जा रही थी धमकी
इसी के चलते युवती ने डिप्रेशन में कर लिया सुसाइड

नव भारत न्यूज

इंदौर. हीरानगर थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रही युवती प्रियांशी राव के आत्महत्या मामले में नया मोड़ आ गया है. मोबाइल चैट में धमकी और विवाद सामने आने पर पुलिस ने उसके प्रेमी और उसकी महिला मित्र को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हीरानगर थाना क्षेत्र में 24 नवंबर को मेघदूत नगर निवासी 19 वर्षीय प्रियांशी राव का शव फंदे पर मिला था. शुरूआती जांच में मामले को आत्महत्या माना गया, लेकिन

मोबाइल की गहराई से पड़ताल में पुलिस को उसके लिव-इन पार्टनर नवीन गौर और उसकी मित्र भूमि के बीच व्हाट्सऐप पर हुई बातचीत में धमकी जैसे संदेश मिले. इसी आधार पर दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया. थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि प्रियांशी पहले स्कीम नंबर 54 में नवीन के साथ लिव-इन में रहती थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन नवीन की भूमि नामक युवती से लगातार बातचीत होने पर प्रियांशी तनाव में रहने लगी थी. कई बार झगड़े भी हुए और दोनों युवतियों के बीच चैट पर कहासुनी हुई थी. इसी मानसिक दबाव के चलते प्रियांशी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. प्रियांशी मूलत: देवास जिले के बरोठा गांव के एक किसान परिवार की थी. वह पढ़ाई के साथ नवीन और अन्य साथियों के साथ एक कैफे भी चलाती थी. आत्महत्या से कुछ दिन पहले ही वह रिश्तेदारों की मदद से नवीन से अलग होकर नए कमरे में रहने लगी थी. इसी दौरान भूमि से उसका विवाद और बढ़ गया था, पुलिस ने नवीन और भूमि दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

भाजपा नेता का हवाई फायर वाला वीडियो वायरल

पुलिस हरकत में आई तो आरोपी ने कहा- पुरानी क्लिप है

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में एक भाजपा कार्यकर्ता को हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग करते हुए दिखाई देने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते ही पुलिस हरकत में आ गई है. इसके बाद आरोपी ने कहा- यह बहुत पुरानी क्लिप है.

वायरल फुटेज शौर्य राजपूत नाम के युवक का है, जो खुद को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा बताता है. उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में यह क्लिप डाली गई थी, जिसमें वह शादी समारोह की भीड़ के बीच पिस्टल दागता नजर आता है. सोशल मीडिया पर सक्रिय इस युवक ने कई भाजपा नेताओं के साथ अपनी फोटो और वीडियो भी पोस्ट कर रखे हैं. वीडियो सामने आते ही सवाल उठे तो शौर्य ने एक अलग बयान जारी कर मामला शांत करने की कोशिश की. उसने दावा किया कि यह घटना चार साल पुरानी है और बिहार के कटिहार में एक शादी के दौरान शूट की गई थी. उधर, यह भी सामने आया कि 5 दिसंबर को भाजयुमो नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा की बारात में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस के दो नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी अब तक बयान देने नहीं पहुंचे हैं. एडीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने बताया कि वायरल वीडियो पर जांच शुरू कर दी गई है. टीम यह भी पड़ताल कर रही है कि हथियार कहां इस्तेमाल किया गया था और लाइसेंस किसके नाम पर है.पुलिस यह भी जांच कर रही है कि वीडियो अपलोड करने का उद्देश्य क्या था?

विभागीय कार्रवाई ▶ **पीएचक्यू ने पुलिस कर्मचारियों के लिए जारी की सख्त एसओपी**

सोशल मीडिया पर पुलिस वर्दी में मस्ती का दौर खत्म

नव भारत न्यूज

इंदौर. पुलिस अब वर्दी में रील बनाने वाले कर्मियों पर नजर रखेगी. पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में पुलिस कर्मियों के लिए नई एसओपी जारी कर स्पष्ट किया है कि ऐसे कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई, निलंबन और पदावनति तक की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर वर्दी में रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है. आम लोगों के साथ-साथ कई पुलिसकर्मी भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) वर्दी में अलग-अलग अंदाज में वीडियो पोस्ट कर रहे हैं. इससे पुलिस की सार्वजनिक छवि प्रभावित हो रही है. पुलिस मुख्यालय सूत्रों का कहना है कि इस बार की एसओपी में केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रखा है. अब प्रत्येक जिले के एसपी को निर्देश दिया है कि साइबर सेल के जरिए ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच, वेतन वृद्धि रोकने, निलंबन, पदावनति और सेवा से पृथक जैसी कार्रवाई की जाए.

वर्दी में अनुचित हरकतों से पड़ता है पुलिस की प्रतिष्ठा पर असर

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि वर्दी में अनुचित हरकतों से पुलिस की प्रतिष्ठा पर असर पड़ता है. एसओपी जारी करने का मकसद न केवल सोशल मीडिया पर नियंत्रण रखना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि पुलिसकर्मी अपने सार्वजनिक आचरण में जिम्मेदार और पेशेवर बने रहें. इस कदम के बाद अब शहर में कई पुलिसकर्मी, जो वर्दी में मस्ती और रील बनाने में लगे थे, खुद अपनी गतिविधियों पर नजर रखने लगे हैं. पुलिस की छवि सुधारने और अनुशासन कायम रखने की यह पहल अहम मानी जा रही है.